न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी:– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

रेफरेन्स प्रा०प० संख्या 1/2014

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) नवलगढ, जिला झुंझुनूं।
–– प्रार्थी

बनाम

1. महेश कुमार पुत्र शिवप्रसाद, जाति महाजन, लेकटाउन कॉम्पलेक्स 862, जेस्सोर रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700055
2. श्यामा देवी पत्नी आत्माराम भगत, जाति महाजन, रामचन्द्रपुर भजन आश्रम मायापुर, जिला पुरूलिया, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
3. रामगोपाल पुत्र केशरदेव भगत, जाति महाजन, निवासी इन्द्रपस्थ अपार्टमेन्ट, सी 1 ब्लॉक, प्रथम तल्ला कैखाली वी.आई.पी. रोड, 24 परगना (नोर्थ) पश्चिम बंगाल।
4. निर्मल कुमार पुत्र गिरधारी लाल भगत, जाति महाजन, पी. 51/1 सी आई टी रोड, स्कीम 7 कोलकता 700059
5. पन्नालाल भगत पुत्र गोविन्दराम भगत, जाति महाजन, 17 रोलैड रोड़, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700020
6. संगीता पत्नी सुनिल कुमार भगत पुत्र मंगतूराम भगत, जाति महाजन, 11ए डॉवर लेन कोलकाता
7. प्रत्युश पुत्र सुनिल कुमार भगत पुत्र मंगतुराम भगत, जाति महाजन, 11ए डॉवर लेन कोलकाता (पश्चिम बंगाल)700021
8. अजय पुत्र श्रीकिशन पुत्र गोविन्दराम भगत, जाति महाजन, हिमाद्री फ्लैट 805, 22 बालीगंज पार्क रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700019
9. विजय पुत्र श्रीकिशन पुत्र गोविन्दराम भगत, जाति महाजन, हिमाद्री फ्लैट 805, 22 बालीगंज पार्क रोड कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700019
10. सुशीला पत्नी सुरेश कुमार भगत, पी. 12 बांगुर अवेन्यू डी बलॉक कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
11. अंकुर कुमार पुत्र सुरेश कुमार भगत, पी. 12 बांगुर अवेन्यू डी बलॉक कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
12. नरेश कुमार पुत्र सीताराम भगत, जाति महाजन, 106 गिरीश घोष रोड वैल्लूर मथ हावड़ा (पश्चिम बंगाल)
13. राजेश कुमार पुत्र सीताराम भगत, जाति महाजन, 106 गिरीश घोष रोड वैल्लूर मथ हावड़ा (पश्चिम बंगाल)
14. राकेश पुत्र सीताराम भगत, 303 इम्पीरियल रेजीडेन्सी 7–1–275 बैगमपैट हैदराबाद (आन्ध्रप्रदेश)
15. निकुंज बिहारी पुत्र देवीदत्त भगत, जाति महाजन, 22 राज बंसतराय रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700029
16. मोहनलाल पुत्र मुरलीधर भगत, जाति महाजन 24बी [illegible] कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700036
17. राजकुमार पुत्र बद्रीप्रसाद (बिहारी प्रसाद) जाति महाजन, 33 टालीगंज सर्कलुर रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700036
18. पदम पद भगत पुत्र बद्रीप्रसाद (बिहारी प्रसाद) जाति महाजन, 33 टालीगंज सर्कलुर रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)700036
19. दुर्गेश नन्दन भगत पुत्र बद्रीप्रसाद (बिहारी प्रसाद) जाति महाजन, 33 टालीगंज, सर्कलुर रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700036

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.08 14:33:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुंझुनूं

20. शांती कुमार भगत पुत्र बद्रीप्रसाद (बिहारी प्रसाद) जाति महाजन, 33 टालीगंज सर्कलुर रोड कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700036 (मृतक)
20/1 कृष्णा देवी पत्नी शान्ति कुमार भगत, 16 नं. होस्पिटल रोड गोधूली सिनेमा के पास आसन सोल नं0 1
21. बिनारानी पत्नी हीरालाल भगत, जाति महाजन, 69/1 डी कासीपुर रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700036
22. रविन्द्र कुमार भयत पुत्र हीरालाल भगत, जाति महाजन, 69/1 डी कासीपुर रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
23. हरिनारायण पुत्र हीरालाल भगत, जाति महाजन, 69/1 डी कासीपुर रोड कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
24. शिवनारायण पुत्र हीरालाल भगत, जाति महाजन, 69/1 डी कासीपुर रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
25. मोहन लाल पुत्र मुरलीधर भगत, जाति महाजन, 24बी, न्यू रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)
26. विजय कुमार पुत्र भगवती प्रसाद भगत, जाति महाजन, निवासी बी एफ–4, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700091
27. रेणू पत्नी बंसत कुमार भगत, जाति महाजन, सी एल 213, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700091
28. अभिषेक पुत्र बंसत कुमार भगत, जाति महाजन, सी एल 213, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700091
29. विवेक पुत्र बंसत कुमार भगत, जाति महाजन, सी एल 213, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700091
30. विमल कुमार पुत्र भगवती प्रसाद भगत, जाति महाजन, एफ डी 459, साल्ट लेक सिटी, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700091
31. प्रमोद कुमार पुत्र श्यामलाल भगत, जाति महाजन, 9 मुरलीधर सेन लेन, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700012
32. विनोद कुमार पुत्र श्यामलाल भगत, जाति महाजन, जे 222 वेस्टर्न एवेन्यू डब्लू –17 बी, सैनिक फार्मस, नई दिल्ली 110062
33. विष्णु कुमार पुत्र श्यामलाल भगत, जाति महाजन 17, राजा सन्तोष रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700027
34. राधेश्याम पुत्र केदार बक्श भगत, जाति महाजन 17, राजा सन्तोष रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700027
35. पुष्पा देवी पत्नी देवकीनन्दन भगत, जाति महाजन 17, राजा सन्तोष रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700027
36. नरेन्द्र कुमार पुत्र देवकीनन्दन भगत, जाति महाजन, 129/28 एस एन राय रोड, एल आई सी कॉलोनी, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700038
37. श्रीकान्त पुत्र देवकीनन्दन भगत, जाति महाजन, 17 राजा सन्तोष रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700027
38. मधुसुदन पुत्र देवकीनन्दन भगत जाति महाजन 17 राजा सन्तोष रोड, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) 700027

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.08 14:33:49 IST
Reason: SelfAttested

—— अप्रार्थीगण

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

—

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

उपस्थितः–

1. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय एडवोकेट– प्रार्थी की ओर से।
2. श्री जाफर अली, एडवोकेट– अप्रार्थीगण की ओर से।

आदेश

दिनांक 06.04.2022

1. पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विद्वान तहसीलदार नवजलढ के द्वारा प्रस्तुत की गई है। रेफरेन्स के तथ्य निम्न प्रकार से है कि ग्राम नवलगढ की जमाबन्दी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 459 के अनुसार खसरा नम्बर 709 रकबा 0.04 हैक्टर गैर मुमकिन गउ घाट, खसरा नम्बर 710 रकबा 0.23 हैक्टर गैर मुमकिन तालाब, खसरा नम्बर 711 रकबा 0.02 हैक्टर गैर मुमकिन मकान, खसरा नम्बर 712 रकबा 10.22 हैक्टर गैर मुमकिन जोहड़, खसरा नम्बर 713 रकबा 0.04 गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 714 रकबा 7.61 हैक्टर बारानी प्रथम 7.44 ख0न0 1987/714 रकबा 0.17 गैर मुमकिन जोहड, खसरा नम्बर 721 रकबा 36.39 गैर मुमकिन जोहड़ की खातेदारी सुनिल कुमार पुत्र मंगतुराम हिस्सा 1/36 श्यामादेवी पत्नी आत्माराम हिस्सा 1/36 महेश कुमार पुत्र शीवप्रसाद, पुष्पा देवी पत्नी शीवप्रसाद हिस्सा 1/36 रामगोपाल पुत्र केशर देव हिस्सा 1/12 निर्मल कुमार पुत्र गिरधारी लाल हिस्सा 1/48 पन्नालाल पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 1/48 श्रीकिशन पुत्र गोविन्दराम हिस्सा 1/48 सुशिला पत्नी सुरेश कुमार व अंकुश कुमार पुत्र सुरेश कुमार हिस्सा 1/192 निकुंज बिहारी पुत्र देवीदत हिस्सा 1/12 पदमा देवी पत्नी मुरलीधर हिस्सा 1/12 राजकुमार भगत, पदमपद भगत, दुर्गेश नन्दन भगत, शांतीकुमार भगत पुत्र बद्रीप्रसाद हिस्सा 1/12 हि0ब0 बीनारानी पत्नी हीरालाल, रविन्द्र कुमार, हरीनारायण, शिवनारायण, पिसरान हीरालाल हिस्सा 1/12 मोहन लाल पुत्र मुरलीधर हिस्सा 1/12 विजय कुमार, बंशत कुमार, विमल कुमारपिसरान भगवती प्रसाद हिस्सा 1/15 प्रमोद कुमार, विनोद कुमार, विष्णु कुमार पिसरान श्यामलाल हिस्सा 1/15 राधेश्याम पुत्र केदार बक्श हिस्सा 1/15 पुरूषोतम पुत्र केदारबक्श हिस्सा 1/15 पुष्पा देवी पत्नी देवकीनन्दन, नरेन्द्र कुमार, श्रीकान्त, मधुसुदन पिसरान देवकीनन्दन हिस्सा 1/15 हि0ब0 जाति महाजन साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है जिसमें खातेदार पुष्पा देवी पत्नी शिवप्रसाद श्रीकिशन पुत्र गोविन्दराम तथा श्रीकिशन का एक पुत्र सुनिल पदमा देवी पत्नी मुरलीधर बंशत कुमार पुत्र भगवती प्रसाद का नाम भी राजस्व रिकार्ड में अंकित है, उक्त खातेदारों की मृत्यु हो चुकी है जिनके वारिसान रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में बतौर पक्षकार रिकार्ड पर है। उक्त मृतक खातेदारो के मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति प्रार्थना पत्र के सलंग्न है। शेष पक्षकार सभी जीवित है। मिसल हकियत मौजा नवलगढ ठिकाना नवलगढ तथा जमाबन्दी सम्वत् 2012–2015 के मुताबिक ग्राम नवलगढ के पुराना खसरा नम्बर 1411 रकबा 3 बिस्वा किस्म गै0मु0चाह, 1413 रकबा 2 बिस्वा किस्म गै0मु0 मकान, 1414 रकबा 3 बिस्वा गै0मु0 गउ घाट, 1415 रकबा 18 बिस्वा पुख्ता जोहड, 1416 [illegible] बीघा 7 बिस्वा जोहड, खसरा नम्बर 1431 रकबा 113 बीघा 5 बीस्वा किस्म जोहड, 1434 [illegible] 9 बीघा 8 बीस्वा किस्म जोहड, 1431/1773 रकबा 6 बीघा 15 बीस्वा किस्म जोहड [illegible] किता 8 कुल रकबा 174 बीघा 18 बीस्वा स्थित है जिसमें से 173 [illegible] जोहड तथा 1 बीघा 6 बीस्वा भूमि गै0मु0 दर्ज थी। जबकि [illegible] नवलगढ की भूमि थी जो द्वारकादास, रामकुमार व केदारबक्स पुत्रगण हरदेवदास महाराज को गायों के चराई हेतु तत्कालीन जागिरदार द्वारा नजराना पर दी गई थी। जब जागिर खालसा हुई तो तत्कालीन राजस्व अधिकारियो को एवं कर्मचारियों ने गलत रूप से उपरोक्त व्यक्तियो के नाम का अंकन करते हुये सम्वत 2012 से 2015 की जमाबन्दी तक तथा मिसल हकियत के अनुसार उपरोक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.08 14:33:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

का कोई लगान नही लिया गया था अर्थात उपरोक्त भूमि के बाबत किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार नही दिये गये थे। मुताबिक मिसल हकियत मौजा नवलगढ ठिकाना नवलगढ सम्वत् 1999 के भूमि खसरा नम्बर 1410 रकबा 2 बीघा 6 बीस्वा बा0 अव्वल तथा 1412 रकबा 34 बीघा 12 बीस्वा बा0 अव्वल ठा0 मदनसिंह जी के मालिकाना हक की शिकमी काश्त नानसिंह वल्द दुला सिंह कौम राजपूत व वालिया वल्द मंगा कोम माली मुदत 3 साल दर्ज रिकॉर्ड है तथा खसरा नम्बर 1409 रकबा 3 बीघा 10 बीस्वा भूमि गैर खातेदारी रूडा वल्द कौम अहीर के नाम से दर्ज रिकॉर्ड है जो संवत् 2016–19 में खसरा नम्बर 1409/1 रकबा 1 बीघा 7 बीस्वा तथा 1409/3 रकबा 1 बीघा जोहड़ गोचर भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। खसरा नम्बर 1411 रकबा 3 बीस्वा गै0मु0चाह, खसरा नम्बर 1413 रकबा 2 बीस्वा गैर मुमकीन मकान, खसरा नम्बर 1414 रकबा 3 बीस्वा गै0मु0 गउ घाट, खसरा नम्बर 1415 रकबा 18 बीस्वा पुष्प जोहड, खसरा नम्बर 1416 रकबा 44 बीघा 7 बीस्वा जोहड, खसरा नम्बर 1431 रकबा 113 बीघा जोहड, खसरा नम्बर 1434 रकबा 9 बीघा 8 बीस्वा जोहड़, खसरा नम्बर 1431/1773 रकबा 6 बीघा 15 बीस्वा जोहड दर्ज करते हुये संवत् 2012 से 2015 तक उक्त भूमि को तत्कालीन राजस्व अधिकारियो ने गलत रूप से भूमिधारी के कॉलम में द्वारकादास, रामकुमार, केदारबक्श पिसरान हरदेवदास तथा कृषक के रूप में मनिया पुत्री झूथा व मिनका बल्द झूथा, भोला वल्द मिनका दर्ज कर दिया जबकि खसरा नम्बर 1411, 1413, 1414, 1415, 1416, 1431, 1434 1431/1773 कुल किता 8 कुल रकबा 174 बीघा 17 बीस्वा भूमि की किस्म गैर मुमकिन गउघाट, जोहड मकान दर्ज रही हैं, जिसमें काश्त के कॉलम में किसी व्यक्ति का कोई नाम अंकित नही रहा है। परन्तु इससे आगे के राजस्व रिकार्ड में राजस्व अधिकारियो ने बिना किसी कारण के तथा बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के संवत् 2016 से 2019 की जमाबन्दी में कृषक के रूप में द्वारकादास रामकुमार केदारबक्श पीसरान हरदेवदास भगत महाजन साकिन देह हिस्सा बराबर करते हुये सम्पूर्ण उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरो की खातेदारी में दर्ज कर दी जबकि पटवारी हल्का व राजस्व कर्मचारियो को ऐसा करने का कानूनी अधिकार नही था। ऐसी हालात में उक्त गलत राजस्व रिकॉर्ड को निरस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है। ओर इसी गलती की वजह से आगे का समस्त राजस्व रिकॉर्ड गलत रूप से दर्ज चला आ रहा है। उपरोक्त खसरा नम्बर के नये खसरा नम्बर मय मिलान क्षेत्रफल निम्नानुसार है।

ख0न0 पुराना		ख0न0 भू–प्रबन्ध 1985		आधार वर्ष 1948		आधार वर्ष 1955	
ख0न0	रकबा	ख0न0	रकबा	ख0न0	रकबा	ख0न0	रकबा
1409/1	1 बीघा 7 बीस्वा	2050	7.61	1651	7.61	714	7.61
1409/2	5 बीस्वा						
1409/3	1 बीघा						
1409/4	18 बीस्वा						
1410	2 बीघा 6 बीस्वा						
1412	34 बीघा 12 बीस्वा						
1411	3 बीस्वा	2049	0.04	1650	0.04	713	0.04
1413	2 बीस्वा	2047	0.02	1648	0.02	711	0.02
1414	3 बीघा	245	0.04	1646	0.04	709	0.04
1415	18 बिस्वा	2046	0.23	1647	0.23	710	0.23

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.08 14:33:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

1416	44 बीघा 7 बिस्वा	2048	10.22	1649	10.22	712	10.22
1431	113 बीघा	2120	36.39	1658	36.39	721	36.39
1434	9 बीघा 8 बिस्वा						
1431 / 1773	6 बीघा 15 बिस्वा						
किता 14	215 बीघा 2 बिस्वा		54.55 हैक्टेयर		54.55 हैक्टेयर		54.22 हैक्टेयर

उक्त वर्णित भूमि की किस्म जोहड गउ घाट, तालाब, मुताबिक राजस्व रिकार्ड मिसल हकियत संवत् 1999 तथा जमाबन्दी सम्वत 2012–2015 तथा 2016–2019 से स्पष्ट है। उपरोक्त भूमि सदा से सार्वजनिक उपयोग की गोचर भूमि रही है जिसको किसी भी खातेदार या व्यक्ति द्वारा आज तक कभी भी काश्त नही किया गया है। तथा जिसका प्रथम भू–प्रबन्ध अधिकारियो ने बिना किसी कब्जे काश्त के गैर कानूनी रूप से तथाकथित रूडा वल्द .... कर दी इस प्रकार द्वारकादास रामकुमार व केदारबक्श पिता हरदेवदास का नाम लिखकर कृषक के रूप में मनिया पुत्री झूंथा, मिलका वल्द झूंथा, भोला वल्द मिलका कौम माली के नाम से दर्ज कर दी। जबकि उक्त भूमि कभी भी उपरोक्त वर्णित व्यक्तियो के कब्जे काश्त की भूमि नही रही है। उक्त भूमि हमेशा से ही गैर मुमकीन जोहड, गउघाट व बंजड रही है। इस कारण से किसी भी व्यक्ति कोई भी खातेदारी अधिकार सम्वत् 2012 से आज तक प्राप्त नही होते है। उपरोक्त जोहड में तालाब है गउघाट तथा गायो के चारे के काम आ रही है तथा साथ ही तीज मेला, गणगौर मेला व गणगौर विसर्जन दुंर्गा पूजा के पश्चात दुर्गा मूर्तियो का विसर्जन करने व अन्य सार्वजनिक उपयोग वगैरह में काम आती रही है व वर्तमान में काम आ रही है। उपरोक्त भूमि में बने पक्के जोहड में कस्बे की लडकियां पारम्परिक त्यौहार तीज पर गुडढी बुहाती है और तीज का मेला भरता है जहां कस्बा नवलगढ व आस पास के गावों व ढाणियों के लोग वर्षो से इकट्ठे होते चले आ रहे है। उपरोक्त भूमि विवादित की किस्म बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के परिवर्तित कर सम्वत् 2020 से 2023 की जमाबन्दी जोहड की भूमि के स्थान पर किस्म बजड अव्वल दर्ज कर दी गई तथा गउघाट, तालाब, चाह यथावत रहा। इससे से स्पष्ट है कि उपरोक्त भूमि कभी भी काश्त नही की गई थी तथा ना ही कोई खातेदारी अधिकार किसी व्यक्ति को दिये गये। लेकिन तत्कालीन राजस्व अधिकारियो ने गलत रूप से उपरोक्त भूमि को द्वारकादास रामकुमार केदारबक्श पुत्रगण हरदेवदास के खातेदारी में दर्ज कर दी गई जो कि बिना किसी सक्षम अधिकारी अथवा न्यायालय के आदेश से किया गया परिवर्तन था जिसको करने का उन्हे कोई कानूनी अधिकार नही था। जिसको राजस्व रिकार्ड में से उपरोक्त गलत व्यक्तियो के नाम से दर्ज हुई को हटाकर पुनः राजकीय खाते में दर्ज किया जाना आवश्यक है ताकि पूर्व की तरह ही उक्त भूमि को सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग उपभाग में लिया जा सके। उक्त [illegible] जोहड, गउघाट तालाब की भूमि की खातेदारी किसी निजी व्यक्ति को दिया जाना [illegible] किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित [illegible] उक्त भूमि के सम्बन्ध में किये गये समस्त प्रकार के अन्तरण तथा आज तक की गई परिवर्तन की कार्यवाही प्रारम्भ से ही शून्य प्रभाव है। मौजुदा राजस्व रिकार्ड में [illegible] दर्ज खातेदारों की मृत्यु पर विरासतन इन्तकाल उनके वारिसान अप्रार्थीगण के नाम दर्ज [illegible] अलग अलग हिस्सा दर्ज कर दिया गया है। उपरोक्त सार्वजनिक भूमि राजस्व रिकॉर्ड में गलत रूप से खातेदारी में दर्ज होने का फाकदा उठाकर उक्त खातेदार उपरोक्त जोहड, गोचर भूमि गंउघाट व तालाब की भूमि को भू–माफिया गिरोह से सांठ–गांठ कर उक्त सार्वजनिक भूमि को खुर्द–बुर्द करने के लिए

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.08 14:33:49 IST
Reason: SelfAttested

छोट–छोटे प्लाट काटकर तथा अन्य रूप से बेचान करने को आमादा है। जिसका उनको कोई कानूनी अधिकार नही है। अगर अप्रार्थीगण उनकी नाजायज मनसा में सफल हो गये तो प्रार्थना पत्र में वर्णित गोचर, गउघाट, जोहड़ की भूमि को खुर्द–बुर्द कर देगें और सार्वजनिक उपयोग में आ रही भूमि का दुरूपयोग होगा जिससे आम जनता को काफी नुकसान होगा, जिसका खामियाजा किसी भी रूप में भरना असम्भव होगा। जिससे भविष्य मे अनावश्यक पेचिदगियां उत्पन्न होगी, मुकदमें बाजी बढेगी व आम जनता की हकतलफी होगी। अब न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी नवलगढ के मुकदमा नम्बर 182/2010 उनवानी पुष्पा देवी बनाम तहसीलदार आदि में हुये आदेश दिनांक 16.01.2013 की पालना में नामान्तरणकरण संख्या 1813 दिनांक 22.02.2013 को नामान्तरणकरण तस्दीक होने पर पटवारी हल्का नवलगढ द्वारा दिनांक 20.12.2013 को अवगत कराने पर इस गलत राजस्व रिकॉर्ड का इल्म हुआ। ऐसी हालत में उक्त भूमि को पुनः राजहक में दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की एस0एल0पी0(सी0)संख्या 3109/2011 जगपाल सिंह एवं अन्य बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2011 एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के यहा दर्ज एस0बी0 सिविल रिट पिटीसन संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में दिये गये निर्णय के अनुसार उक्त भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की होने के कारण अप्रार्थीगण की खातेदारी से हटाई जाकर राज्य सरकार के नाम दर्ज कि जानी आवश्यक हो गई है। विवादित भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि रही है। विवादित जमीन का अधिकांश भाग ग्रामवासियान नवलगढ के पशु चराने तथा आवारा पशुओ के चरने के काम आता रहा है। विवादित जमीन के अधिकांश भाग की किस्म जोहड रही है जिसकी ताईद राजस्व रिकार्ड से होती है जिसमें गउघाट बना हुआ है, तालाब है। इस प्रकार विवादित भूमि ग्रामवासियान नवलगढ के पशुओ के चरने व पानी के लिए, पशुओ को विश्राम कराने के लिए तथा उपरोक्त गोचर भूमि में बने जोहड मे कस्बे की लडकियां पारम्परिक त्यौंहार तीज पर गुड्ढी बुहाती है और तीज का मेला भरता है जहां कस्बा नवलगढ आस–पास के गांवों व ढाणियों के लोग इकटठे होते है, जो सैकडो वर्षो से ठिकाने के समय से निरन्तर हक से बिना किसी बाधा या रूकावट के काम में आती रही है। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि अधिकांश भाग की किस्म गै0मु0 जोहड, सार्वजनिक गोचर भूमि जिसमें गउघाट, तालाब आदि बने हुये है जिसको ग्रामवासियान नवलगढ को पशु चराने के तथा सार्वजनिक उपयोग में तीज त्यौहार मेला आदि के लिए काम में लेने का कस्टमरी राइट ऑफ ईजमेन्ट है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने से पूर्व ही विवादित की किस्म गैर मुमकीन जोहड एवं गउघाट तथा गैर मुमकिन तालाब तथा गोचर भूमि रही है जो कभी भी काश्त के काम में नही आई है जिसकी ताईद खसरा गिरदावरी से होती है। इस प्रकार उपरोक्त विवादित भूमि सदा से ग्रामवासियान नवलगढ के सार्वजनिक उपयोग की भूमि रही है और उक्त कार्यो के काम में लेने का ग्रामवासियान नवलगढ को कस्टमरी राईट ऑफ ईजमेन्ट है। जिसके सम्बन्ध मे जन कल्याण हेतु एवं भूमिधारी होने के कारण आवेदक को यह रेफरेन्स प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम नवलगढ की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या [illegible] दर्ज खसरा नम्बर 709 रकबा 0.04 हैक्टर गैर मुमकिन गउघाट, खसरा नं0 710 [illegible] हैक्टर गैर मुमकिन तालाब, खसरा नम्बर 711 रकबा 0.02 हैक्टर गैर मुमकिन मकान, [illegible] नं0 712 रकबा 10.22 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन जोहड, खसरा नं0 [illegible] मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 714 रकबा 7.61 हैक्टर बारानी प्र[illegible] 714 रकबा 0.17 गैर मुमकिन जोहड, खसरा नं0 721 रकबा 36.79 हैक्टर गैर मुमकीन जोहड की भूमि को अनावेदकगण की खातेदारी से हटा कर राज हक में सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.08 14:33:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

2 बहस सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक (प्रार्थी) ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि ग्राम नवलगढ की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 459 में दर्ज खसरा नम्बर 709 रकबा 0.04 हैक्टर गैर मुमकिन गउघाट, खसरा नं0 710 रकबा 0.23 हैक्टर गैर मुमकिन तालाब, खसरा नम्बर 711 रकबा 0.02 हैक्टर गैर मुमकिन मकान, खसरा नं0 712 रकबा 10.22 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन जोहड, खसरा नं0 713 रकबा 0.04 हैक्टर गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 714 रकबा 7.61 हैक्टर बारानी प्रथम 7.44 ख0न0 1987/714 रकबा 0.17 गैर मुमकिन जोहड, खसरा नं0 721 रकबा 36.79 हैक्टर गैर मुमकीन जोहड की भूमि को अनावेदकगण की खातेदारी मे है। उक्त भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। विवादित भूमि के मौके पर मेला भरता है एवं मौके पर तालाब स्थित है। वकील अप्रार्थीगण यह साबित नही कर पाये है कि उनके पास उक्त भूमि किस प्रकार से आई है। अतः उक्त भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण से हटा कर राज हक में सिवायचक दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

3 वकील अप्रार्थी ने राजकीय अभिभाषक के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण संवत् 1999 से खातेदार है। भू–राजस्व अधिनियम 1956 से प्रभाव मे आया। अप्रार्थीगण उक्त अधिनियम के प्रभाव मे आने से पूर्व मे खातेदार रहे है। प्रार्थी को उक्त भूमि का रेफरेन्स पेश करने का कोई हक नही है। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी ने अप्रार्थीगण को पूर्व मे खातेदार माना है। अपने कब्जे व खातेदारी अधिकार के संबंध मे वकील अप्रार्थी ने माल (लगान) की रसीदे, ठिकाना पट्टे की प्रति, जमाबन्दी की छाया प्रति, भू–प्रबन्ध विभाग के पर्ची लगान की प्रति व गिरदावरी स्लिप की प्रति पेश की। विवादित भूमि के मौके पर स्थित तालाब सार्वजनिक नही है। वकील अप्रार्थीगण ने बहस के दौरान राजस्व मण्डल मे निर्णित उनवानी रेफरेन्स राजस्थान राज्य व अन्य बनाम नारायण सिंह एवं अन्य की नजीर दस्तावेज सूची किता 1 भी पेश कर निवेदन किया कि उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

4 हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस राजकीय पैरोकार पर बगौर मनन किया। राजकीय अभिभाषक का यह कथन उचित प्रतीत होता है कि ग्राम नवलगढ की जमाबन्दी सम्वत् 2068–2071 के खाता संख्या 459 में दर्ज खसरा नम्बर 709 रकबा 0.04 हैक्टर गैर मुमकिन गउघाट, खसरा नं0 710 रकबा 0.23 हैक्टर गैर मुमकिन तालाब, खसरा नम्बर 711 रकबा 0.02 हैक्टर गैर मुमकिन मकान, खसरा नं0 712 रकबा 10.22 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन जोहड, खसरा नं0 713 रकबा 0.04 हैक्टर गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 714 रकबा 7.61 हैक्टर बारानी प्रथम 7.44 ख0न0 1987/714 रकबा 0.17 गैर मुमकिन जोहड, खसरा नं0 721 रकबा 36.79 हैक्टर गैर मुमकीन जोहड की भूमि को अनावेदकगण की खातेदारी मे है। उक्त भूमि प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि है। विवादित भूमि के मौके पर मेला भरता है एवं मौके पर तालाब स्थित है। वकील अप्रार्थीगण यह साबित नही कर पाये है कि उनके पास उक्त भूमि किस प्रकार से आई है। ऐसी स्थिति में हम रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को किया जाना उचित समझते हैं एवं विवादग्रस्त आराजी की स्थिति 15 अगस्त, 1947 के समय की किया जाना उचित समझतें है।

5 अतः ग्राम नवलगढ की जमाबन्दी सम्वत् 20[illegible] के खाता संख्या 459 में दर्ज खसरा नम्बर 709 रकबा 0.04 हैक्टर गैर मुमकिन [illegible]घाट, [illegible]सरा नं0 710 रकबा 0.23 हैक्टर गैर मुमकिन तालाब, खसरा नम्बर 711 रकबा 0.02 [illegible] गैर मुमकिन मकान, खसरा नं0 712 रकबा 10.22 हैक्टर किस्म गै[illegible] रकबा 0.04 हैक्टर गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 714 रक[illegible]म 7.44 ख0न0 1987/714 रकबा 0.17 गैर मुमकिन जोहड, खसरा नं0 721 रकबा 36.79 हैक्टर गैर मुमकीन जोहड की भूमि खातेदारी निरस्त करवाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत किया जाकर निवेदन है कि भूमि खाता संख्या 459 में दर्ज खसरा नम्बर 709 रकबा 0.04 हैक्टर गैर मुमकिन गउघाट, खसरा नं0 710 रकबा 0.23 हैक्टर गैर मुमकिन तालाब, खसरा नम्बर 711 रकबा 0.02

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.08 14:33:49 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर झुन्झुनूं

हैक्टर गैर मुमकिन मकान, खसरा नं0 712 रकबा 10.22 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन जोहड, खसरा नं0 713 रकबा 0.04 हैक्टर गैर मुमकिन चाह, खसरा नम्बर 714 रकबा 7.61 हैक्टर बारानी प्रथम 7.44 ख0न0 1987/714 रकबा 0.17 गैर मुमकिन जोहड, खसरा नं0 721 रकबा 36.79 हैक्टर गैर मुमकीन जोहड की भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगणों के नाम से खारिज फरमाई जाकर राजस्थान सरकार के नाम दर्ज करवाने के आदेश फरमाये जावे। साथ ही माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जोधपुर के निर्णय दिनांक 02.08.2004 अब्दुल रहमान बनाम सरकार की पालना में विवादग्रस्त आराजी की स्थिति 15 अगस्त, 1947 के समय की किये जाने के भी आदेश फरमाये जावें। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के यहां प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार नवलगढ को भेजी जावे।

आदेश आज दिनांक 06.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.04.08 14:33:49 IST
Reason: SelfAttested